

संख्या ए- 20014/17/02-प्रशासन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए-.....प्रशासन दिनांक..... द्वारा
दिनांक..... से श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत तथा नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप
श्री..... का वेतन दिनांक.....(अपराह्न) से के वेतनमान में
..... पर निर्धारित किया जाता है ।

2. श्री..... को यदि उत्तीर्ण नहीं किया है तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आवधिक हिन्दी या अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसकी अंग्रेजी में न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी शिक्षण योजना के तहत राजभाषा विभाग से हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति की टंकण परीक्षा, नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी । ऐसा न करने पर जबतक वे उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी । यदि वे परीक्षा की अवधि के अंदर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें उनकी वास्तविक नियुक्ति पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा । यदि उन्होंने पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, या अपनी नियुक्ति की तारीख से छः महीने के भीतर उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, तो उन्हें पहली वेतन-वृद्धि, एक साल की सेवा के बजाए छः महीने के बाद ही दे ही कजाएगी, जिसे बाद में नियमित वेतन-वृद्धि में आत्मसात कर दिया जाएगा ।

(उप-भूमि तथा विकास अधिकारी)

प्रति:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय) शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा आर्थिक तथा सेवा मंत्रालय,
एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
3. बिल ग्रुप, एलएण्डडीओ, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
4. श्री.....श्रेणी लिपिक ।
5. श्री.....श्रेणी लिपिक की व्यक्तिगत
फाईल तथा सेवा पंजिका ।
6. बजट सहायक ।